रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)]
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 463] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 1975/कार्तिक 21, 1897

No. 463] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 1975/KARTIKA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 12th November 1975

S.O. 650(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Paper (Conservation and Regulation of Use) Order, 1974, namely :—

1. (1) This Order may be called the Paper (Conservation and Regulation of Use) Second Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Paper (Conservation and Regulation of Use) Order, 1974, after clause 4, the following clause shall be inserted, namely :—

"5. *Power to exempt.*—The Central Government may, having regard to the availability of paper during any period, by order, exempt the printing of advertisement or propaganda material, calendars, diaries or invitation or greeting cards from the operation of the provisions of clause 3 for such period as may be specified in the Order."

[No. 14(46)/75-Paper]

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1975

का० आ० 650 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कागज (संरक्षण तथा प्रयोग विनियमन) आदेश, 1974 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम कागज (संरक्षण तथा प्रयोग विनियमन) द्वितीय संशोधन आदेश, 1975 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. कागज (संरक्षण तथा प्रयोग विनियमन) आदेश, 1974 में, खण्ड 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**5 छूट देने की शक्ति** :—केन्द्रीय सरकार किसी अवधि के दौरान कागज की उपलभ्यता को ध्यान में रखते हुए' विज्ञापन या प्रचार सामग्री, कलेण्डरों, डायरियों और निमंत्रण या शुभकामना कार्डों के मुद्रण को उक्त आदेश के खण्ड 3 के उपबन्धों के प्रवर्तन से ऐसी अवधि के लिए आदेश द्वारा छूट दे सकती है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।"

[सं० 14 (46)/75-कागज]

S.O. 651(E).—In exercise of the powers conferred by clause 5 of the Paper (Conservation and Regulation of Use) Order, 1974, the Central Government hereby exempts the printing of advertisement or propoganda material, calendars, diaries and invitation or greeting cards from the operation of the provisions of clause 3 of the said Order for a period up to and inclusive of the 31st March, 1976.

[No. 14(46)/75-Paper]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

का० आ० 651 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कागज (संरक्षण तथा प्रयोग विनियमन) आदेश, 1974 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञापन या प्रचार सामग्री, कलेण्डरों, डायरियों और निमंत्रण या शुभकामना कार्डों के मुद्रण को उक्त आदेश के खण्ड 3 के उपबन्धों के प्रवर्तन से 31 मार्च, 1976 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, छूट देती है ।

[सं० 14(46)/75-कागज]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975